फर्द अहकाम

TC न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

केस संख्या : 168/25 रामस्वरूप बनाम महेश

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	17.04.2026	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु तीन मूलभूत सिद्धान्तों (i) प्रथम दृष्टया मामला (ii) सुविधा का संतुलन (iii) अपूरणीय क्षति का प्रार्थीया के पक्ष में साबित होना आवश्यक है।	

(i) प्रथम दृष्टया मामला :- प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या-1 की दिनांक 18/11/2025 की धमकी का उल्लेख किया गया है, परन्तु पत्रावली ~~रखा~~ इस कथित घटना या निर्माण की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज, रिपोर्ट अथवा फोटोग्राफ नहीं है मात्र मौखिक आशंकाओं के आधार पर सह-खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी करना न्यायोचित नहीं है

इसके अतिरिक्त प्रार्थीया ने जाहिर किया है कि अप्रार्थी-1 आराजी को खुर्द-बुर्द कर रही है परन्तु इसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है साथ ही एक सहखातेदार द्वारा दूसरे सहखातेदार को पाबंद करवाना भी उचित नहीं है क्योंकि सभी सह खातेदारों का हक व हिस्सा निहित है अतः प्रार्थीया अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने में पूर्णतः विफल रही है। जब प्रथम दृष्टया मामला ही प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है तो सुविधा का संतुलन एव अपूरणीय क्षति के विरुद्ध

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

TC रामेश्वरी बनाम महेशी

केस संख्या : 168/25

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
		पर विचार करने का कोई विधिक औचित्य शेष नहीं रह जाता है।	
		उपरोक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर, प्रार्थीया रामेश्वरी देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आधारहीन एवं बलहीन होने के कारण एतद्वारा खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
		sd/- सहायक कलक्टर आमेर मु० जयपुर	